HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 240/2026

Golu Kumar S/o Ramswaroop, Aged About 20 Years, R/o Badagaon Sarvar, Police Station Bonli, District Sawai Madhopur (Rajasthan). (At Present Confined In District Jail Sawai Madhopur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Nidhi Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना बौंली, जिला सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 328/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। उनका तर्क है कि प्रकरण में कोई निजी व्यक्ति साक्षी नहीं है, बल्कि सभी साक्षीगण पुलिसकर्मी ही हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में अब आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 10.11.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि मामला साईबर ठगी से संबंधित है। प्रार्थी–अभियुक्त ने पैसे दोगुने करने का झांसा देकर एक से अधिक लोगों के साथ ठगी कारित की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने चार लाख रुपये अपने खाते में प्राप्त किए हैं। उनका तर्क है कि ऑनलाईन ठगी का मामला है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर अनजान लोगों के साथ साईबर ठगी कारित करने का आक्षेप है। प्रकरण में अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा मोबाईल नंबर 8690917323 के जरिये लोगों को पैसा दुगना करने का झांसा देते हुए उनसे साईबर ठगी की जाती थी तथा ठगी की राशि यूपीआई व अपने खाता संख्या 14960100022562 बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बौंली में प्राप्त की जाती थी। इस प्रकार प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा अब तक कुल 4,00,000/– रुपये की राशि साईबर ठगी से प्राप्त करना अनुसंधान से प्रकट हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त के उक्त बैंक खाते के संबंध में साईबर पोर्टल पर शिकायतें (शिकायत संख्या 33402250001722 व 31102250040527) दर्ज होना पाया गया है। उक्त ऑनलाईन शिकायतों के संबंध में अनुसंधान किए जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि अन्य पीड़ित लोगों से साईबर ठगी कर प्राप्त की गई राशि प्रार्थी–अभियुक्त के बैंक खाते में प्राप्त हुई है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों से ऑनलाईन ठगी कारित कर राशि प्राप्त करते हैं। प्रकरण में आरोप–पत्र पेश हो चुका है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

NIMIT GOYAL /21